FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0152 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 16/06/2025 17:54 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 20/05/2025 Date To (दिनांक तक): 21/05/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 08:35 बजे Time To (समय तक): 17:00 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 16/06/2025 Time (समय): 11:00 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 003 Date & Time (दिनांक एवं समय) 16/06/2025 17:54:35 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH-WEST, 101 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE
   (b) Address(पता): POLICE THANA LOSAL JILA SIKAR
   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
   Name of P.S (थाना का नाम):
   District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAKESH KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** JAGDEES

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2002 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM WARD NO.01, CHAUMU PUROHITAN, REENGUS, SIKAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM WARD NO.01, CHAUMU PUROHITAN, REENGUS, SIKAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DEVARAM		पिता:CHUNNARAM	1. GRAM TPEEPALYA,VAYA RINGS,SIKAR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि दिनांक 20.05.2025 को मन् पुलिस निरीक्षक सुरेश चन्द वास्ते शहादत सरकार बनाम मोहर सिंह अदालत श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट सीकर आया हुआ था, इसी दौरान वक्त 08.35 एएम पर मोबाइल नम्बर [redacted] से मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर फोन आया और अपना नाम राकेश कुमार बताया और कहा कि मैं धोद कोर्ट सीकर से बोल रहा हूं। हमारा ट्रेक्टर लोसल थाने में बन्द है जिसको छोड़ने के लिये पुलिस वाले रिश्वत मांग रहे है, जिस पर उक्त राकेश को हिदायत खास की गई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो झुंझुनूं को उक्त परिवादी के संबंध में हालात निवदेन किये एवं मांग सत्यापन हेतु किसी कानिस्टेबल को डिजीटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड लेपटोप प्रिन्टर एवं सरकारी वाहन के सीकर भिजवाने का निवेदन किया एवं मन् पुलिस निरीक्षक शहादत देने में मशरूफ हुआ। वक्त 12.15 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक अदालत से फ्री होकर बाहर आया तो कानि राकेश नम्बर 243 मय सरकारी वाहन चालक श्री जगदेव सिंह नम्बर 354, डिजीटल टेप रिकार्डर, लेपटोप, प्रिन्टर के उपस्थित मिले जिनको हमरा लेकर धोद, सीकर के लिये रवाना हुआ। वक्त 01.05 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान कानि राकेश मय सरकारी वाहन व चालक श्री जगदेव के धोद कस्बा पहुचकर परिवादी श्री राकेश कुमार को मोबाईल से फोन कर एसडीएम कार्यालय धोद के सामने आने की हिदायत की गई। वक्त 01.20 पीएम पर परिवादी श्री राकेश कुमार पुत्र श्री जगदीश निवासी वार्ड नम्बर 01 चौमू पुरोहितान पुलिस थाना रीगंस जिला सीकर मय अपनी बहन श्रीमती ममता देवी उपस्थित आये तथा श्री राकेश ने एक प्रार्थना पत्र हस्तलिखित इस आशय का पेश किया कि सेवामे श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक एसीबी झुंझुनूं। विषय रिश्वत लेते पकड़वाने बाबत्। निवेदन है कि मैं खाटूश्यामजी (चौमू पुरोहितान) का रहने वाला हूं मेरी बहिन ममता का ट्रैक्टर नम्बर आरजे 23 आरडी 7993 है जिससे लोसल में एक्सीडेन्ट हो गया था, जिस कारण ट्रैक्टर लोसल थाना में बन्द है जिसकी एफआईआर 49/25 दर्ज है जिसकी जांच हवलदार देवाराम थाना लोसल जिला सीकर कर रहा है। मैं व मेरी बहिन ममता ट्रैक्टर छुड़वाने के लिये लोसल थाना में गया तो देवाराम हवलदार 5000/ रिश्वत के मांगे है कहा कि रूपये दोगे तो ट्रैक्टर छुटेगा। हम गरीब है इतने रूपये नही दे सकते है। रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं मेरा देवाराम से काई लेना देना शेष नही हे ना नही उससे कोई रंजीश है। रिपोर्ट करता हूं कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। दिनांक 20.05.2025 एसडी राकेश प्रार्थी राकेश पुत्र श्री जगदीश पता वार्ड नम्बर 01 चौमूं पुरोहितान रीगंस सीकर मोबाईल नम्बर [redacted], [redacted] प्रार्थना पत्र के अवलोकन से प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का मामला बनना पाया जाता है। परिवादी से रिश्वत मांग सत्यापन करवाया जावेगा, रिश्वत मांग में जैसी स्थिति पाई जावेगी उसी अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। प्रार्थना पत्र व अधिकार पत्र व जब्तशुदा ट्रैक्टर नम्बर आरजे 23 आरडी 7993 का माननीय न्यायालय द्वारा रिलीज आर्डर की प्रति भी पेश की जिसे शामिल कार्यवाही की गयी। मन् पुलिस निरीक्षक के हमरा कानि श्री राकेश कुमार नम्बर 243 को परिवादी श्री राकेश कुमार से परिचय कराया एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढ़ाया गया। तत्पश्चात एक सोनी कम्पनी का डिजीटल टेप रिकार्डर एवं उसके अन्दर लगा केडीएम कंपनी का मैमोरी कार्ड को चलाकर देखा गया तो उसमें डिजीटल टेप रिकार्डर व मैमोरी कार्ड में कोई वार्तालाप रिकार्ड होना नही पायी गयी। परिवादी श्री राकेश कुमार को डिजीटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को चलाने एवं बन्द करने की विधि समझाई गई एवं फर्द सुपुर्दगी डिजीटल टेप रिकार्डर मुर्तिब कर मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु परिवादी श्री राकेश कुमार मय श्रीमती ममता देवी तथा राकेश कुमार कानि 243 को पुलिस थाना लोसल जिला सीकर के लिए रवाना कर हिदायत खास की गई। मन् पुलिस निरीक्षक मय सरकारी वाहन व चालक के मुकीम धोद रहे। वक्त 02.38 पीएम पर परिवादी श्री राकेश कुमार ने जरिये मोबाईल बताया कि मांग सत्यापन हेतु पुलिस थाना लोसल आये थे लेकिन हैड कानिस्टेबल श्री देवाराम नही है व उसे फोन किया तो चार-पांच घण्टा बाद आने की कही है। परिवादी को हिदायत खास की गई। वक्त 03.30 पीएम पर कानि श्री राकेश कुमार 243 मय परिवादी श्री राकेश कुमार व श्रीमती ममता देवी वापिस धोद आये एवं बताया कि हैडकानि श्री देवाराम थाने पर उपस्थित नही मिला। डिजीटल टेप रिकार्डर को मन् पुलिस निरीक्षक ने लेकर सुरक्षित अपने पास रखा एवं परिवादी को दिनांक 21.05.2025 को मांग सत्यापन कार्यवाही कराने की हिदायत कर रूखस्त किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के झुंझुनूं के लिये रवाना हुआ। वक्त 07.00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराही जाब्ता के वापस चौकी आया। डिजीटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखा। समस्त हालात श्रीमान

अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो झुंझुनूं को निवेदन किये गये। दिनांक 21.05.2025 के वक्त 06.00 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक सुरेश चन्द द्वारा कार्यालय की आलमारी से डिजीटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड जिसमें दिनांक 20.05.2025 की परिवादी श्री राकेश कुमार की रिकार्डिंग है, को निकालकर श्री राकेश कानि 243 को सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु परिवादी श्री राकेश कुमार के बताये अनुसार सीकर रवाना कर हिदायत खास की गयी। वक्त 05.00 पीएम पर श्री राकेश कुमार कानि 243 उपस्थित कार्यालय आया व मन् पुलिस निरीक्षक को डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर बताया कि कि आपके बताये अनुसार मैं चौकी से रवाना होकर सांवली सर्किल सीकर पहुचा जहा पर परिवादी श्री राकेश कुमार मय श्रीमती ममता देवी के उपस्थित मिले, जिनको हमराह लेकर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु पुलिस थाना लोसल को रवाना हुआ। पुलिस थाना लोसल के नजदीक पहुचंकर मैनें परिवादी श्री राकेश कुमार को डिजीटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड चालू कर रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाह हेतु थाने के अन्दर भेजा। श्रीमती ममता देवी भी परिवादी के साथ पुलिस थाना लोसल के अन्दर गयी। करीब 01 घंटे के बाद परिवादी श्री राकेश कुमार मय श्रीमती ममता देवी के साथ मेरे पास आये, परिवादी से मैने डिजीटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने बताया कि हमारा ट्रैक्टर आरजे 23 आरडी 7993 को मुताबिक आदेश न्यायालय के छोड़ दिया है तथा हैडकानिस्टेबल श्री देवाराम से रिश्वत राशि कम करने के लिये कहा तो उसने कहा जो लाये हो वो दे दो, मेरे पास 1500 रूपये थे वह मेरे से श्री देवाराम ने ले लिये और कहा कि चले जाओ। परिवादी श्री राकेश कुमार व श्रीमती ममता देवी को लोसल से रूखस्त किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजीटल टेप रिकार्डर को सुना गया तो उक्त बातो की ताईद होना पायी गयी। आईन्दा परिवादी को तलब कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। डिजीटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखा गया। दिनांक 22.05.2025 के वक्त 08.30 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से परिवादी श्री राकेश कुमार के मोबाईल नम्बर [redacted] पर संपर्क कर अग्रिम कार्यवाही हेत एसीबी चौकी झुंझुनूं में उपस्थित होने हेतु पाबंद्ध किया गया। वक्त 12.15 पीएम पर परिवादी श्री राकेश कुमार मय श्रीमती ममता देवी के उपस्थित एसीबी कार्यालय झुंझुनूं आये व मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि श्री देवाराम हैडकानिस्टेबल ने कल मेरा ट्रैक्टर छोड़ दिया है व मेरे से 1500 रूपये भी प्राप्त कर लिये है, अब श्री देवाराम हैडकानिस्टेबल के पास मेरा कोई काम नही है, अब वह मेरे से कोई रिश्वत राशि नही लेगा। वक्त 02.00 पीएम पर श्री विक्रम सिंह कानि. 92 को दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु जिला आबकारी अधिकारी झुंझुनूं के नाम तहरीद देकर रवाना किया गया । कार्यालय हाजा के श्री विक्रम सिंह कानि. 92 जिला आबकारी अधिकारी झुंझुनूं से दो स्वतंत्र गवाह 1 श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री जयपाल सिंह जाति जाट उम्र 48 साल निवासी राजासर पुलिस थाना मुकन्दगढ़ जिला झुंझुनूं हॉल सिपाही कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत झुंझुनूं व 2 श्री मेहर सिंह पुत्र श्री हरसुखराम जाति जाट उम्र 49 वर्ष निवासी ग्राम भूकाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं हॉल सिपाही कार्यालय सहायक आबकारी अधिकारी निरोधक दल झुंझुनूं के उपस्थित कार्यालय आये जिनसे पूर्व में उपस्थित परिवादी श्री राकेश कुमार से आपसी परिचय करवाया व अब तक की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया व गवाह रहने की सहमती प्राप्त की गई व परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनो गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री राकेश कुमार द्वारा श्री देवाराम हैडकानिस्टेबल पुलिस थाना लोसल जिला सीकर के मध्य दिनांक 21.05.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता कार्यालय के डिजिटल टेप रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में परिवादी द्वारा रिकार्ड की गई है। डिजीटल टेपरिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय की आलमारी मे निकालकर दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को लैपटॉप से जोडकर रिकार्ड वार्ता को सुना जाकर रिकार्ड वार्तालाप का फर्द वार्ता रूपान्तरण तैयार किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को लैपटॉप से जोडकर रिकार्ड वार्ता को तीन पैन ड्राईव Consistent कम्पनी 8 जीबी में बारी-बारी से डाउनलोड किया गया। एक पैन ड्राईव को सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शिल्ड किया जाकर कपडे की थैली पर मार्क A अंकित कर परिवादी एवं संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पैन ड्राईव आरोपी हेतु व एक पैन ड्राईव अन्वेषण हेतु खुले रखे गये। डिजीटल टेपरिकार्डर से मैमोरी कार्ड । ADATA 16 जी.बी. को निकालकर उमे मैमोरी कार्ड के कवर में डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर कपडे की थैली को सील्ड कर पैकेट पर गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पैकेट पर मार्क A1 अंकित किया गया। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता परिवादी श्री राकेश कुमार ने एक आवाज स्वयं की तथा एक आवाज श्री देवाराम हैडकानिस्टेबल पुलिस थाना लोसल जिला सीकर की व एक आवाज अपनी बहिन श्रीमती ममता देवी की आवाज होने की पहचान की। पैन ड्राईव एवं मौमोरी कार्ड की हैश वैल्यु निकालकर पृथक से शामिल कार्यवाही की गई। सील्ड पैकेट मार्क A एवं A1 को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। विस्तृत फर्द ट्रांसक्रिप्शन पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। फर्द नमूना ब्राश सील पीतल नम्बर 27 तैयार की गई । वक्त 06.50 पीएम पर परिवादी श्री राकेश कुमार मय श्रीमती ममता देवी व स्वतंत्र गवाहान श्री महेन्द्र सिंह, सिपाही कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत झुंझुनूं व श्री मेहर सिंह, सिपाही कार्यालय सहायक आबकारी अधिकारी निरोधक दल झुंझुनूं को बाद हिदायत रूखस्त किया गया। आरोपी श्री देवाराम, हैडकानिस्टेबल पुलिस थाना लोसल जिला सीकर द्वारा परिवादी श्री राकेश कुमार की बहिन श्रीमती ममता देवी का पुलिस थाना लोसल जिला सीकर के एफआईआर नम्बर 49/25

में जब्तशुदा ट्रैक्टर नम्बर आरजे 23 आरडी 7993 को छोड़ने की एवज में परिवादी से 5000/रूपये की मांग करना एवम मांग की अनुसरण में माननीय न्यायालय से रिलीजशुदा ट्रैक्टर को छोड़ने के लिये दिनांक 21.05.2025 को मौके पर 1500 रूपये प्राप्त किये गये। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 21.05.2025 को परिवादी श्री राकेश कुमार व आरोपी श्री देवाराम हैडकानिस्टेबल पुलिस थाना लोसल जिला सीकर के मध्य हुयी वार्ता के दौरान आरोपी देवाराम परिवादी राकेश कुमार से कहता है कि तु तो काडर देरो कोनी इस पर परिवादी कहता है कि कह दो तो कता चाहे साहब, जायज सा लगा दो साहब अंया कोनी तब आरोपी कहता है कि मैं ही दे स्यू सारा, एपीपी का भी इस पर परिवादी कहता है कि थे बता दो अब देखो गरीब आदमी हा तब आरोपी कहता है कि मै तो बता दिया थाने इस पर परिवादी कहता है कि पांच हजार ज्यादा छ साहब थे हिसाब सू तब आरोपी कहता है कि तु देबो भी कोनी चाहब, ये ज्यादा है ये कम है तो पहलो आदमी देखयो इस पर परिवादी कहता है कि कता काई करना छ साहब तब आरोपी कहता है कि देख मै तो कोनी करा, काल ही सर्विस करार लायां हा कदे ही कोनी करा, लागे जका लागे ही है, अरे अ रहया मै तो कानी करा, चटक-चटक देर आया गाडी चलानी तो सर्विस का देणा ही पडेला, 100-200 रूपया कम हो जाई चलो वा चिज अलग है " इस पर परिवादी कहता है कि " हा तो कम कर बता दो साहब तब आरोपी कहता है कि दे दे कोई दे जका और जाओ और आगे आरोपी परिवादी से कहता है कि कुछ देणा है तो देदे, जा नही चला जा इस पर परिवादी कहता है कि थे बता दो पाछे सागे ही देदेला तब आरोपी कहता है कि जा तु जा, जा, पहलो आदमी देख्यो फोटुआ का भी मै ही दयु, टिकट का भी मै ही दयु, और शिकायत भी म्हारे ही कर, देणा है जका देदे और चलो जा तेर कन है जो परिवादी कहता है कि म्हाकन तो साहब 1500 रूपये छ, थे बता दो कता लेणा है वी हिसाब सू जीजा न तब आरोपी कहता है कि तु मन देदे और जा इस पर परिवादी कहता है कि 1500 सौ है साहब (परिवादी ने बताया कि यहा श्री देवाराम को 1500 रूपये दिये जिस पर उसने पैस लेकर अपने पास रख लिये और कहा कि भग जा) इस प्रकार आरोपी श्री देवाराम हैडकानिस्टेबल द्वारा परिवादी श्री राकेश कुमार की बहिन का जब्तशुदा ट्रैक्टर को थाने से छोड़ने की एवज में 5,000 रुपये रिश्वत की मांग करना व एवम दिनांक 21.05.2025 को 15,00 रूपये प्राप्त करना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी श्री देवाराम हैडकानिस्टेबल पुलिस थाना लोसल जिला सीकर अपने पद का दुरूपयोग करते हुये परिवादी श्री राकेश कुमार की बहिन श्रीमती ममता देवी का पुलिस थाना लोसल जिला सीकर के एफआईआर नम्बर 49/25 में जब्तशुदा ट्रैक्टर नम्बर आरजे 23 आरडी 7993 को छोड़ने की एवज में परिवादी से 5000/रूपये की मांग करना एवम मांग की अनुसरण में माननीय न्यायालय से रिलीजशुदा ट्रैक्टर को छोड़ने के लिये दिनांक 21.05.2025 को मौके पर 1500 रूपये प्राप्त करना अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित अधिनियम 2018) की परिधि में दण्डनीय अपराध है। अत आरोपी श्री देवाराम पुत्र श्री चुन्नाराम, उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम तपीपल्या, वाया रींगस, जिला सीकर हॉल हैडकानिस्टेबल 712 पुलिस थाना लोसल जिला सीकर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) मे बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस एसीबी जयपुर को प्रेषित है। (सुरेश चन्द) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं।........... कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेश चन्द, पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री देवाराम पुत्र श्री चुन्नाराम, उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम तपीपल्या, वाया रींगस, जिला सीकर हॉल हैडकानिस्टेबल 712 पुलिस थाना लोसल जिला सीकर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुभाष मील, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 871 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 881-84 दिनांक 16-06-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सीकर। 2-पुलिस अधीक्षक, जिला सीकर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-चतुर्थ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम): Subhash Meel Rank (पद): निरीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 16/06/2025 17:

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	05/06/1970				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)